तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./4703/2003/भरतपुर</u>** **देवीराम बनाम अचल सिंह व अन्य**	
07-9-18	**एकल पीठ** **श्री धूकलराम कसवां सदस्य** उपस्थित श्री यज्ञदत शर्मा अभिभाषक प्रार्थी विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश। **निर्णय** यह निगरानी सहायक कलेक्टर वैर के आदेश दिनांक 10–9–03 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त करने मौका कमिश्नर खारिज किया है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि मौका रिपोर्ट मंगाने से कब्जे व मौके की स्थिति स्पष्ट होगी एवं न्यायालय को निर्णय करने में मदद मिलेगी। उक्त बिन्दु पर गौर नहीं करके प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जावे। हमने बहस पर मनन किया एवं निगराधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10–9–03 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर पूर्व में मौका कमिश्नर के आदेश नायब तहसीलदार वैर के आदेश हुये थे,तहरीर जारी हुई थी व तत्कालीन मौका आयुक्त को 250/–रूपये फीस भी अदा कर दी थी वह मौका निरीक्षण नहीं कर पाये तब तक उनका ट्रान्सफर भुसावर हो गया। इस सम्बन्ध में कई बार जवानी भी निवेदन किया गया। लेकिन अब तक न मौका देखा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./4703/2003/भरतपुर</u>** **देवीराम बनाम अचल सिंह व अन्य**	
	गया और न ही फीस वापस जमा करवाई गई और न दूसरे मौका आयुक्त के आदेश हुये। इसलिये नायब तहसीलदार वैर से मौका दिखाया जावे या फीस वापस मंगवाई जाकर किसी दूसरे मौका आयुक्त को नियुक्त कर मौके का निरीक्षण कराया जावे। अधनीस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15–9–99 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त दिनांक को मौका कमिश्नर नियुक्ति पर बहस सुनकर नायब तहसीलदार वैर को 250/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश पारित किये गये हैं। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 10–9–03 में यह अंकित किया गया है कि मौका कमिश्नर बाबत प्रार्थनापत्र वर्ष 1999 में पेश किया है। बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का यही मतलब है कि प्रकरण को देरीना करने की मंशा है अतः मौका रिपोर्ट मंगाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13–11–03 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999 से मौका कमिश्नर की फीस अदा नहीं करने के कारण मौका नहीं देखा गया। वर्ष 1999 से अब तक फीस अदा नहीं की । इतना अवसर देने पर कार्यवाही बन्द करनी थी। इससे साफ जाहिर है कि प्रार्थी मुकदमा देरीना करना चाहता है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सही रूप से खारिज किया गया है। प्रार्थी ने अपने मौका कमिश्नर नियुक्ति प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी को प्रार्थी कुए से सिंचित कर रहा है। वादग्रस्त आराजी में पाईप लाईन डली हुई है व रामस्वरूप के साथ साझी वाले कुए से भी पाईप लाईन डली हुई है जो मौके पर वादग्रस्त आराजी में लम्बे समय से दोनों पाईप लाईन पी वी सी की डली हुई हैं। प्रार्थी द्वारा बोई हुई फसल भी खडी है। केवलमात्र राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम चल रहा है। इसलिये टी आई के निर्णय से पूर्व वादग्रस्त आराजी फसल व पाईप लाईन को रेकार्ड पर लेना आवश्यक है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर होता है। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जा सकता है और कब्जे काश्त की स्थिति के बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./4703/2003/भरतपुर</u>** **देवीराम बनाम अचल सिंह व अन्य**	
	सकता। मौका कमिश्नर नियुक्त कर किसी पक्षकार के पक्ष में शहादत एकत्रित नहीं की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण कृषि भूमि पर कब्जे से सम्बन्धित है। वादग्रस्त आराजी पर भौतिक रूप से वास्तव में किस पक्षकार का कब्जा है, इस बाबत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से पक्षकार अपना कब्जा सिद्ध कर सकते हैं। जहां पर प्रकरण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो वहां पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में पक्षकारों के पास अपना कब्जा सिद्ध करने के लिये विकल्प उपलब्ध हैं।इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने मौका कमिश्नर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवां)** **सदस्य**	